कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर, वनमण्डल (म.प्र.)

E-mail – dfotssagar@mp.gov.in Phone No. 07582-236215

क्रमांक/मा.चि./06/2023/ 3003 सागर, दिनांक 5-6-23

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग क्रमांक-1
सागर (म.प्र.)।

विषय :- जिला सागर के अंतर्गत बरौदा जलाशय सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 21.06 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ :- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-3/85/2017/10-11/4222 दिनांक 13.12.2022 एवं क्रमांक/एफ-3/85/2017/10-11/12/2061 दिनांक 19.05.2023
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./1884 दिनांक 21.12.2022
3. आपका पत्र क्रमांक/1652/कार्य/2023-24 दिनांक 08.05.2023

--"--

विषयांकित संबंध में लेख है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक/6-एमपीआर 005/2022-बीएसओ/ दिनांक 09.12.2022 के द्वारा विषयांकित प्रकरण में प्रथम चरण (सैद्धांतिक स्वीकृति) जारी की गई है।

2- स्वीकृति में अधिरोपित शर्त अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि-1,79,89,946, नेट प्रजेण्ट वैल्यू-1,41,13,148 एवं केट प्लान की राशि-10,10,000 कुल राशि-3,31,13,094/- ऑन लाईन जमा कर पावती एवं वचन-पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये है।

3- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./1884 दिनांक 21.12.2022 के द्वारा विषयांकित प्रकरण में त्रुटिवश Eco-Class-4 दर्ज हो जाने के कारण वरिष्ठ द्वारा प्रभावित भूमि 21.06 हेक्टेयर की नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि 1,41,13,148/- जमा करने हेतु लेख किया गया था। किन्तु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-3/85/2017/10-11/12/2061 दिनांक 19.05.2023 द्वारा प्रस्तावित 21.06 हेक्टेयर वनभूमि (श्रेणी Eco-Class-3) मान्य कर नेट प्रजेन्ट वैल्यू की गणना भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 से जारी नवीन एन.पी.व्ही. की दरों से करते हुए अंतर की राशि ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है।

4- अतः आप विषयांकित प्रकरण में Eco-Class-3 की नेट प्रजेन्ट वैल्यू की अंतर की राशि रु. **60,57,699/-** ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा कर पावती प्रति एवं वचन-पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सकें।

वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, (सा.) वनमण्डल

पृ.क्रमांक/मा.चि./06/2023/ 3004 सागर, दिनांक 5-6-23

प्रतिलिपि :-

1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2- मुख्य वन संरक्षक, सागर वन वृत्त, सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, (सा.) वनमण्डल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–3 / 85 / 2017 / 10–11 / 12 / 2061 भोपाल, दिनांक 19/05/23

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
(सा0) वन मण्डल दक्षिण सागर,
मध्यप्रदेश।

विषयः–जिला सागर के अंतर्गत बरौदा जलाशय सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 21.06 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 06 / 2022 / 1884, दिनांक 21.12.2022

–– 0 ––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, संदर्भित पत्र से प्रकरण में अवगत कराया गया है, कि परियोजना अंतर्गत प्रस्तावित 21.06 हे0 वनभूमि की ईको वैल्यू श्रेणी Eco-Class-4 त्रुटिवश आनलाईन पोर्टल पर दर्ज होने के कारण नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रूपये 1,41,13,148/ आवेदक विभाग से कैम्पा मद में जमा कराई गयी। जबकि उक्त प्रस्तावित वनभूमि की वास्तविक श्रेणी Eco-Class-3 है।

उपरोक्तानुसार लेख है, कि प्रस्तावित 21.06 हे0 वनभूमिं (श्रेणी Eco-Class-3) की नेट प्रजेन्ट वैल्यू की गणना भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 से जारी नवीन एन.पी.व्ही की दरों पर करते हुए आवेदक विभाग से अन्तर की राशि आनलाईन कैम्पा मद मे जमा कराने हेतु लेख किया जावें।

444
02/6/23

19/5/2023
(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–3 / 85 / 2017 / 10–11 / 12 / 2062 भोपाल, दिनांक 19/05/23

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) सागर वृत्त सागर, मध्यप्रदेश।
2. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, उत्तर सागर, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक–1, सागर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

19/5/2023
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

मा0चि

वन मण्डल अधिकारी
दक्षिण वन मण्डल, सागर
31/5

D:\AJ\Data-irrigation\Section F-3 (Part-II).docx